



संख्या: FP/JH/TRANS/50112/2020(Pt) / 604

दिनांक: 11/10/2022

सेवा में,

**अपर मुख्य सचिव**

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड सरकार,

नेपाल हाउस, राँची - 834002.

विषय:- 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 23.3355 हे० कुल 53.2129 हे० वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-वन भूमि-23/2022-2690(ई)/व०प० दिनांक 12.09.2022 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

- I. Duly attested Part-II of Chatra South Forest Division of form A.
- II. The kml file of total proposed forest land for diversion.
- III. The kml of total alignment and alternative routes of transmission line.
- IV. As per DSS analysis, it appears that proposed forest land for diversion has been violated by User Agency. If, yes, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation why forest department could not assess the violation while processing the application.
- V. Two cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous.
- VI. Undertaking in respect of CWLW recommendation by user agency as well as the draft framework for mitigative measures/plans too should be submitted alongside.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाए।

आपका विश्वासभाजन

  
(शशि शर्कर)

सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।

  
सहायक वन महानिरीक्षक